ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 281-283**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतिबिंब

विश्वास पाण्डेय
शोध अध्येता– शिक्षा संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र) भारत

Received-24.08.2026, Revised-02.09.2026, Accepted-10.09.2026, E-mail:vishwaspandey.education@gmail.com

सारांशः – *भारतीय विचारों ने सत्य की किसी एक ही व्याख्या को स्थापित नहीं किया, सत्य की व्याख्याओं में ये बहुलता के विश्वासी हैं। सदैव सत्य की उपस्थिति को स्वीकारते हुए भी भारतीय चिंतक उसके मूल्यांकन एवं मान्यता की संभावनाओं के संदर्भ में संशयशील रहे हैं। इसलिए उन्होंने सत्य को प्राप्त करने के लिए पंथों की बहुलता को स्वीकारा है। सत्य को समझने के लिए किसी व्यक्ति को सामुदायिक या सांप्रदायिक अधीनता की आवश्यकता नहीं है।*

भारत की विविधतापूर्ण भौगोलिक एवं सामाजिक वास्तविकता ने भारत के मस्तिष्क में यह सर्वोच्च बोध उत्पन्न किया कि सारी सृष्टि एकात्म है, एक अभेद की अवस्था है, इसमें स्वयं एवं अन्य के मध्य विरोध या भेद का अतिक्रमण है। इस 'एकत्त्व बुद्धि' अर्थात् बौद्धिक संवाद का अर्थ विभिन्न दृष्टिकोणों में पारस्परिक प्रतिवाद नहीं वरन् एकत्त्वबुद्धि सर्वदा अविरोधिनी का संधान होता है। इसके आगे, ज्ञान का लक्ष्य मनुष्य की भौतिक सुविधाओं का संवर्धन नहीं है वरन् सबके कल्याण के लिए व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का विकास करना है। यह वह अवस्था है, जो ज्ञान को अंतिम एवं निर्णायक रूप से व्याख्यायित करती है, भगवान बुद्ध ने इसे 'निर्वाण' कहा है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन् समस्त मनुष्यता की पीड़ाओं का 'निर्वाण'। यह धर्म के नैतिक मूल्यों से वर्चस्वित है। यहां 'विद्या' की अर्थात ज्ञान की सभी शाखा–प्रशाखाओं में सामाजिकता एवं नैतिकता की प्रस्थापना होती है। पश्चिमी विचारों के पूरे इतिहास पर दृष्टि डालने पर एक ही विचार का अस्तित्व प्राप्त होता है और वह है मनुष्य केंद्रित विश्व का विचार, अर्थात मनुष्य के हितों के वर्चस्व का विचार। मध्य युग में पश्चिम में मनुष्य की पाप से मुक्ति एवं मनुष्य के हित के उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमात्मा उपस्थित है तो वहीं यूरोपीय पुनर्जागरण के उपरांत मनुष्य के हित के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ध्यान प्रकृति के प्रति स्थानांतरित हो गया। एक रोचक तथ्य यह भी है कि पश्चिमी मनुष्य तथा उसके हित के मध्य सदैव ही एक स्पष्ट विरोधात्मक धुरी भी परिलक्षित होती है। जहां मध्य काल में, मनुष्य के साथ इस विरोधात्मक संबंध में परमात्मा ने मनुष्य से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाने की चाह लेकर तथा उसे दण्डित करते हुए प्रवेश किया, तो वहीं अब प्रकृति विरोधी बन गयी है तथा आधुनिक ज्ञान विज्ञान का प्रयोजन मनुष्य हित के लिए तोड़ना–मरोड़ना हो गया है।

कुंजीभूत शब्द– राष्ट्रीय शिक्षा नीति,भारतीय ज्ञान परंपरा,सामुदायिक, सांप्रदायिक अधीनता,एकत्त्वबुद्धि सर्वदा अविरोधिनी, बौद्धिक संवाद।

प्रस्तावना– उन्नीसवीं शताब्दी में मार्क्सवादी युग में मनुष्य या मनुष्य के एक वर्ग का मनुष्य के दूसरे वर्ग के साथ संघर्ष था, तथा अब बीसवीं शताब्दी में यह महिला तथा पुरुष के मध्य संघर्ष है। इस संघर्ष मॉडल के लिए स्पष्ट आधार हेब्रिक का मनुष्य आधारित वह विचार है जिसके अनुसार हर वस्तु मनुष्य की सुख–सुविधा का ही विषय है। यह व्यवहारिक रूप से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्त पश्चिमी वैचारिक संहिताओं को इंगित करता है, यह डार्विन के विकास सिद्धांत के मध्य भी उपस्थित है। पश्चिम के प्राचीन विधान में मनुष्य को समुद्र में मछली पर, हवा के प्रवाह पर, तथा पशुओं पर तथा पूरी पृथ्वी पर स्वामित्व दिया गया है। पश्चिमी मनुष्य ने इस स्वामित्व को स्वीकार किया उस अधिकार को अपने वर्चस्व का विस्तार करने के स्थायी हथियार के रूप में देखा है। इसलिए यूरोपीय पुनर्जागरण में, ज्ञान की पूरी परियोजना को मनुष्य के तथाकथित हित की तरफ मोड़ दिया गया, एक सुख–सुविधा पूर्ण जीवन हासिल करने का उद्देश्य, जो उसे परमात्मा से जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था। यह अनुभवजन्य विज्ञान के विस्तार से पूर्व विज्ञान के उदय तथा ईसाई सत्ता मीमांसा के पतन को बताता है। जिसने ईसाई मत को निशक्त किया तथा यह उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी ईसाईपंथ के लिए इस प्रकार के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक परिणामों के साथ धर्मतंत्र के विध्वंस का कारण बना।

भारतीय विचार प्रणाली में, ज्ञान का उद्देश्य कार्य दूसरों पर शक्ति का प्रदर्शन न होकर मोक्ष रहा है। विचारों की यह दिशा पश्चिमी संरचना में उपस्थित विचारों से एकदम विपरीत है। यह संचलन मनुष्य से समाज, सामूहिकता की तरफ है न कि एक शोषण या तनाव के संबंध में समाज से मनुष्य की तरफ। यह भी ध्यान दिया जाए कि जहाँ पश्चिमी संरचना में ज्ञान मनुष्य पर सत्ता हासिल करना, उसे बाँधना तथा उसके मस्तिष्क पर अपने विचारों की विजय पाना है, तो वहीं भारतीय संरचना में ज्ञान, एक माध्यम है मनुष्य की मुक्ति का। यह न केवल एक सामूहिक संहिता की बाहरी सामाजिक, आडम्बरी बाधाओं से मनुष्य की मुक्ति का माध्यम है बल्कि यह माध्यम है मनुष्य का अपने मस्तिष्क तथा स्वयं के अस्तिवगत, आतंरिक अवरोधों से मुक्ति प्राप्त करना। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का लक्ष्य बहुत ही अलग है, यह मनुष्य की मुक्ति को प्रेरित करता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली, विशेष रूप से सांख्य, मोक्ष को दुःख, आत्म पीड़ा से मुक्ति बताती है। भारतीय परंपरा में ज्ञान कभी न क्षरण होने वाले शाश्वत सत्य का ज्ञान है, जिसका अर्थ है एक अच्छा मनुष्य होना, एक ज्ञान जो मनुष्य होने की शर्त की प्रकृति पर एक सघन ध्यान में गहरा दबा है, वह ज्ञान, जो मनुष्य की क्षुद्र सुख सुविधाओं से परे आतंरिक उल्लास को प्रोत्साहित करता है। भारत में ज्ञान कभी भी कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहा है। महान विद्वान आदि शंकराचार्य भी विविध बौद्धिक शिक्षाओं के रचयिता होने के साथ–साथ एक प्रवचनकर्ता थे, एक लोकप्रिय संत, जिन्होनें पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक पैदल यात्रा की तथा गाँव–गाँव घूमकर लोगों को अद्वैत वेदान्त की शिक्षा दी। इसी प्रकार श्री रामानुजाचार्य ने भी तमिल में तमिल भाषा में अपनी विषिश्टाद्वेत दर्शन की शिक्षा मैसूर के निकट मेलकोट गाँव में दी। तो यह बहुत ही स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि कई महान एवं प्रबुद्ध समीक्षाएं ऐसे ही लोकप्रिय प्रतिपादनों से उत्पन्न हुई हैं। यह उस चित्रण तथा समतुल्यता, उपमा तथा दृष्टान्त की उपस्थिति की व्याख्या करता है, जिसे मनुष्य के सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधि से उधार लिया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020– भारतीय मूल्यों का पुनरुद्धार 1986 के 34 वर्षों के अंतराल के बाद भारत सरकार ने 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की, जो स्वागत योग्य है। स्वतंत्रता के सात दशकों बाद भी हम अपनी शिक्षा प्रणाली को भारतीय संस्कृति, मूल्यों और विकास के अनुसार ढालने में सफल नहीं रहे थे। यह नई नीति कई महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करती है। इसके क्रियान्वयन से भारतीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा और हम भारत को पुनः विश्व मंच पर ज्ञान के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने की ओर

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

बढ़ेंगे। यह स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार है जब देश को भारत–केंद्रित शिक्षा नीति मिली है। नीति में भारतीय संस्कृति, कला, भाषा और पारंपरिक ज्ञान को प्रमुखता से स्थान दिया गया है।

1986 की नीति के एक वर्श पूर्व षिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था जिसका नामकरण इस शिक्षा नीति में 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है। छात्र न केवल भारतीय मूल्य, विचार, दर्शन का अध्ययन करेंगे परंतु कला, विज्ञान, पर्यावरण जैसे विषयों में भी भारतीय ज्ञान एवं उसके योगदान को भी सीख सकेंगे। इस नवीन शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें समग्रता, एकात्मता एवं सर्वांगीण दृष्टि का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। नीति के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास माना गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा का समग्रता से विचार किया गया है। जैसे इसमें बालक के जन्म से शोध करने तक की यात्रा का विचार किया गया है, सभी वर्गों के छात्रों हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रयास, स्थानीय–राज्य–राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का समन्वय, शिक्षण विधि (पेडागॉजी)– ऑनलाइन, ऑफलाइन, कौशल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ मूल्यांकन में भी यही समग्र दृष्टि दिखाई देती है। अभी तक विद्यालय स्तर पर 10+2 की संरचना है, इस नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् 5+3+3+4 संरचना व्यवहार में आएगी। अभी तक निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समावेश था परंतु सरकारी व्यवस्था में नहीं था। प्रथम पांच वर्ष में 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा 1, 2 को मिलाकर पांच वर्ष होगा। साथ ही 0–3 वर्ष के बालकों के लिए भी सरकार द्वारा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जो परिवारों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा।

वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार बालक 8 वर्ष की उम्र में 70 से 80 प्रतिशत सीखता है। इस हेतु इस नीति में इसका विशेष विचार किया गया है, जिससे बालक की नींव मजबूत होगी एवं उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ होगी। अभी 11–12 कक्षा में कॉमर्स, आर्ट्स, साइन्स स्ट्रीम है, इसके बदले कक्षा 9 से 12 में छात्रों को विषय चुनने की स्वायत्तता होगी। छात्रों को विज्ञान के साथ संस्कृत, वाणिज्य के साथ योग शिक्षा, मानविकी के साथ संगीत आदि विषयों को चुनने की स्वायत्तता होगी। पूर्व में कला, संगीत, योग, खेल, सामुदायिक सेवा तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों आदि विषयों को सह–पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता था जिससे इस प्रकार के विषयों में छात्र एवं अभिभावक कम रूचि ले रहे थे। इस नीति में इन सब विषयों को औपचारिक पाठ्यक्रम के समकक्ष माना गया है। इस नीति में समाज के सभी वर्गों जैसे महिला, अनुसूचित जाति–जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के छात्रों सहित दिव्यांगजनों का भी विशेष ध्यान रखकर प्रावधान किये गए है। वहीं दूसरी ओर इस नीति में देश के स्थानीय कारीगर, शिल्पकार आदि को स्थान देकर उचित सम्मान दिया गया है। यह शिक्षा नीति उच्च शिक्षा में बहु–अनुशासनिकता एवं समग्र शिक्षा के मूल्यों को पोषित करते हुए भविष्य में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल में ज्ञान की एकात्मता एवं समग्रता की दृष्टि को सुनिश्चित करेगी। ऐसी दृष्टि ही इस नीति को समग्रता एवं व्यापकता प्रदान करती है। प्राथमिक शिक्षा में पदार्पण के समय से ही छात्रों को तैयार करने से लेकर शोध में वह कैसे अपनी क्षमता का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें।

शोध के लिए वर्तमान प्रणाली में जहां छात्र स्नातकोत्तर पश्चात् शुरुआत करता था वह अब स्नातक स्तर पर ही शोध के क्षेत्र में कदम रखेगा जिससे वह शोध हेतु अधिक सक्षम हो पाएगा। शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता हेतु महत्वपूर्ण अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अब शिक्षक बनने हेतु 4 वर्ष के बी.एड. पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों के साथ–साथ मूलभूत कर्तव्यों के समावेश पर जोर दिया गया है। जब शिक्षक में कर्तव्यबोध होगा तब वही गुण भविष्य के नागरिकों में समाविष्ट होंगे। विद्यालय और समाज के अंतःसंबंधों को इस नीति ने पुनर्स्थापित करने हेतु शिक्षा को समाज की जिम्मेदारी के रूप में रेखांकित किया है। यह शिक्षा में भारतीयता की अनुगूंज की तरह है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का एक महत्वपूर्ण पक्ष है–मातृभाषा में शिक्षा। विश्व में भाषा विज्ञान के सारे अनुसंधान इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा ही सर्वाधिक वैज्ञानिक पद्धति है। इस दृष्टि से मातृभाषा में कक्षा 5 तक की शिक्षा की व्यवस्था इस नीति की महत्त्वपूर्ण बात है। इसके साथ–साथ भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रावधान किए गए है। जिनमें प्रमुख हैं–संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आनेवाले विभागों का सशक्तिकरण, 8वीं अनुसूची की भाषाओं हेतु अकादमी स्थापित करना, भारतीय भाषाओं से संबंधित कला एवं संस्कृति के दस्तावेजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना तथा पालि, प्राकृत एवं फारसी भाषाओं हेतु राष्ट्रीय संस्थान एवं भारतीय अनुवाद संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है।

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए तकनीक का भी पूर्ण उपयोग करने संबंधी योजना बनाई गई है। विविध शैक्षणिक सॉफ्टवेयर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में विकसित करना और उपलब्ध कराना एवं विद्यालयी शिक्षा के लिए, शिक्षण–अधिगम, ई–सामग्री सभी राज्यों के साथ–साथ NCERT, CIET, CBSE, NIOS और अन्य संस्थानों द्वारा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किये जाएंगे। इसके साथ ही यह नीति त्रिभाषा–सूत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। प्रस्तुत शिक्षा नीति इस बात पर भी जोर देती है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में द्विभाषी शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। समावेशी शिक्षा हेतु पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विद्यालयों के निर्माण को बढ़ावा देने की दृष्टि से विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकताओं के मानकों में रियायत के प्रस्ताव हैं। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार ऐसा होगा कि सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' की संकल्पना रखी गयी हो। पिछड़े वर्ग की शिक्षा हेतु विशेषरूप से उपयुक्त धनराशि सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम को और अधिक समावेशी बनाना तथा विशेष शिक्षा क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं में शिक्षण देने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने की बात नीति में कही है। इस नीति में लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थी, विद्यालयी एवं महाविद्यालयी दोनों स्तरों पर, व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान अर्जित करेंगे। आगामी एक दशक में व्यावसायिक शिक्षण को क्रमबद्धरूप से शिक्षा की मुख्य धारा में समावेश कर लिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रमों में राज्य स्तर एवं स्थानीय समुदाय के व्यावसायिक कला, हस्तकला आदि का समावेश किया जाएगा। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों हेतु विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में इंटर्नशिप की व्यवस्था के साथ वे आईटीआई, पॉलीटेक्निक, स्थानीय उद्योग आदि के साथ संलग्न होकर कार्य करेंगे।

कोठारी आयोग 1964 की शिक्षा नीति एवं शिक्षाविदों ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6% शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने की अनुशंसा की थी, इसे पूर्ण करने की प्रतिबद्धता इस नीति में है। इसी प्रकार देश के सभी शिक्षा संस्थानों को लेखा हेतु एक ही मानदंड पर परखा जाएगा। इस प्रकार सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों को अपने वित्तीय पक्ष में समान रूप से पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही इस नीति अनुसार सभी शिक्षण संस्थाएं 'गैर लाभकारी' संस्थाएं मानी जाएगी। नई शिक्षा नीति में निजी शिक्षण संस्थान मन मुताबिक शुल्क नहीं वसूल पाएंगे। प्रति वर्ष शुल्क वृद्धि भी नियमानुसार होगी और इसके पश्चात भी अभिभावक चाहें तो

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

उस शुल्क प्रणाली को चुनौती दे सकेंगे। शिक्षण संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ–साथ आधुनिक तकनीकी शिक्षा का सामंजस्य इस नवीन शिक्षा नीति में दृष्टिगोचर होता है। एक ओर भारतीय कला, संस्कृति, भाषा आदि को बढ़ावा देने की बात है। इसी प्रकार वर्चुअल लैब विकसित करना और ऑनलाइन शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) गठित किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा पर इस नीति में गंभीरतापूर्ण विचार कर कई प्रावधान किए गए हैं जैसे– आधारभूत डिजिटल संरचनाओं का प्रावधान, शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण हेतु प्रशिक्षण तथा ऑनलाइन शिक्षा पर डिजिटल संरचना एवं डिजिटल पाठ्यसामग्री के निर्माण हेतु मंत्रालय में एक विशेष विभाग बनाने का प्रावधान किया है। इसका तात्पर्य यह कत्तई नहीं है कि कक्षा की पढ़ाई का विकल्प ऑनलाइन शिक्षा बने। नीति में भी मिश्रित व्यवस्था की बात कही गयी है। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में जीवन कौशल जैसे–संवाद, सहयोग एवं टीम वर्क आदि को जोड़ा जाएगा जिससे बच्चों में जीवन कौशल का विकास हो सकेगा। नीति में छात्रों को रटंत प्रक्रिया से बाहर निकालने की दिशा का प्रयास एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष के साथ व्यावहारिक पक्ष पर भी बल दिया गया है।

वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा के बाद हर बच्चे के पास विभिन्न प्रकार का कौशल होगा। जिससे वो जिस क्षेत्र में काम करना चाहेगा उस दिशा में आगे बढ़ सकेगा। छात्रों के अकादमिक एवं स्वास्थ्य की चिंता के साथ ही छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का भी विचार किया गया है। इस हेतु सभी शिक्षा संस्थानों में 'परामर्श केंद्र' प्रारंभ करने का प्रावधान है। साधारणतः उच्च शिक्षा के दो आधार बिदु होते हैं– शिक्षण और शोध। इस नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शोध दोनों पर संतुलित बल दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शोधकार्य राष्ट्र, समाज और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो–इस दृष्टि से राष्ट्रीय शोध–प्रतिष्ठान का प्रावधान है। यह भारत में शोध–कार्य हेतु एक नियामक संस्था होगी जिसमें विज्ञान के साथ–साथ समाज–विज्ञान, कला–विज्ञान, व मानविकी के विषयों से संबंधित शोध–कार्यों को जोड़ा गया है। जो छात्र किसी कारण से उच्च शिक्षा में प्रवेश पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाते है, अब वे भविष्य में किसी समय उसी वर्ष या सेमेस्टर में पुनः प्रवेश ले सकेंगे।

इसी प्रकार स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले छात्र के पास विकल्प होगा कि वह 1 वर्ष पश्चात् सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पश्चात् डिप्लोमा, 3 वर्ष पश्चात् डिग्री अथवा 4 वर्ष पश्चात् ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर सकें। ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करके छात्र सीधे शोध में प्रवेश ले सकेंगे उच्च शिक्षा में अकादमिक 'बैंक ऑफ क्रेडिट' स्थापित करने की भी योजना नीति में दी गई है। इसके द्वारा छात्र अलग–अलग उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को भविष्य में डिग्री प्राप्त करते समय उपयोग कर सकेंगें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की स्वायत्तता पर बल दिया गया है। नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों को शासक मंडल (बोर्ड ऑफ गवर्नेंस) गठित करके शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता का प्रावधान है साथ ही छात्रों एवं शिक्षकों की स्वायत्तता का भी समावेश नीति में किया गया है। यह शिक्षा नीति सर्वसमावेशी प्रकृति की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण, सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का लक्ष्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचारों से, बौद्धिकता से एवं कार्यव्यवहार से भारतीय बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीति के सभी स्तर पर उचित क्रियान्वयन से ही सही अर्थ में भारतीयता को पुनर्प्रतिष्ठापित करने में हम सफल हो सकेंगे।

निष्कर्ष– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारतीय ज्ञान परंपरा को केंद्र में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करती है। नीति न केवल भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, भाषाओं और समावेशी दृष्टिकोण को महत्त्व देती है, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा, डिजिटल युग और भविष्य की सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली का भी संकल्प प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के आदर्शों और आधुनिक तकनीकी–वैश्विक दृष्टिकोण का समन्वित प्रतिरूप है। नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव, डिजिटल दक्षता एवं भविष्य में रोजगारपरकता को सुनिश्चित करती है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से भारत न केवल अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करे, बल्कि वैश्विक मंच पर एक समावेशी, सशक्त और नवोन्मेषी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
2. कोठारी आयोग (1964–66), भारत सरकार की शिक्षा संबंधी रिपोर्ट : शिक्षा मंत्रालय।
3. दासगुप्ता, एस. (1922). ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी (खंड 1) : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. पिंग्री, डी. (1978). द मेसोपोटामियन ओरिजिन ऑफ अर्ली इंडियन मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी : जर्नल फॉर द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी।
5. वुजास्टिक, डी. (2003). द रूट्स ऑफ आयुर्वेदरू सिलेक्शंस फ्रॉम संस्कृत मेडिकल राइटिंग्स : पेंगुइन क्लासिक्स।

*****